परिपत्र नम्बर-12/16

राजस्थान-सरकार

कार्यालय महानिरीक्षक, पंजीयन एवं मुद्रांक विभाग,

''जनाना अस्पताल राड़'', राज., अजमेर

क्रमांकः एफ-7(482)मुख्य/विधि/16/ 3950 - 4455 दिनांकः 29-12-16

1. समस्त
 उप महानिरीक्षक,
 पंजीयन एवं मुद्रांक,
 राजस्थान
2. समस्त
 उप पंजीयकगण
 राजस्थान

परिपत्र

राजस्थान स्टाम्प अधिनियम 1998 के अन्तर्गत कलक्टर (मुद्रांक) के द्वारा मुद्रांक प्रकरणों में पारित निर्णय के विरूद्ध धारा-65 के तहत चीफ कन्ट्रोलिंग रेवेन्यू ऑथोरिटी अर्थात राजस्थान कर बोर्ड के यहा रिविजन प्रस्तुत करने का विधिक उपचार उपलब्ध है। राजस्थान कर बोर्ड के यहां रिविजन पेश करने हेतु मांग राशि की 25 प्रतिशत राशि जमा कराने का सबूत रिविजन प्रार्थना-पत्र के साथ प्रस्तुत करना अनिवार्य है।

कई बडे मामलों में कलक्टर (मुद्रांक) के द्वारा पारित निर्णय के विरूद्ध पक्षकारो के द्वारा भारतीय संविधान के अनुच्छेद 226 के तहत सीधे ही माननीय राजस्थान उच्च न्यायालय में रिट याचिकायें प्रस्तुत कर दी जाती हैं। इस प्रकार के मामलो में माननीय उच्च न्यायालय द्वारा वसूली पर स्थगन आदेश जारी करने से वसूली करने में कठिनाई उत्पन्न हो जाती है।

शासन सचिव वित (राजस्व) की अध्यक्षता में दिनांक 10.11.16 को आयोजित बैठक में निर्देश दिये है कि ऐसे मामलों को चिन्हित किया जावें जिनमे कलक्टर (मुद्रांक) के निर्णय के विरूद्ध राजस्थान कर बोर्ड के यहा रिविजन प्रस्तुत नही करके सीधे ही राजस्थान उच्च न्यायालय मे रिट याचिका दायर कर दी गई है। ऐसे मामलो में राजकीय अधिवक्ता/अतिरिक्त महाधिवक्ता के माध्यम से उच्च न्यायालय के समक्ष अपना पक्ष प्रस्तुत करवाते हुए वैकल्पिक उपचार (Alternative Remedy) उपलब्ध होने के आधार पर ऐसी रिट याचिकाओं को खारिज कराने की कार्यवाही हेतु प्रार्थना-पत्र पेश किया जावें।

अतः राजस्थान उच्च न्यायालय जोधपुर/पीठ-जयपुर में विचाराधीन ऐसी रिट याचिकाओं को चिन्हित किया जाकर उपरोक्त निर्देशो के अनुसार कार्यावाही कर अनुपालना से इस कार्यालय को तत्काल अवगत कराने का श्रम करावें।

29-12-2016
(एन.एम. पहाडिया)
महानिरीक्षक,
पंजीयन एवं मुद्रांक विभाग,
राजस्थान, अजमेर

क्रमांकः एफ-7(482)मुख्य/विधि/16/ 3951-4455 दिनांकः 29-12-16.

प्रतिलिपि निम्नलिखित को सूचनार्थ एवं आवश्यक कार्यवाही हेतु प्रेषित हैः-

1. प्रमुख शासन सचिव वित्त विभाग, राजस्थान, जयपुर।
2. शासन सचिव, वित्त (राजस्व) विभाग, राजस्थान, जयपुर।
3. समस्त कलक्टर एवं जिला पंजीयक, राजस्थान।
4. वित्तीय सलाहकार, मुख्यालय, अजमेर।
5. उप विधि परामर्शी/सहायक विधि परामर्शी, मुख्यालय, अजमेर।
6. वरिष्ठ विधि अधिकारी, कार्यालय उप महानिरीक्षक, पंजीयन एवं पदेन कलक्टर (मुद्रांक), वृत-जयपुर/जोधपुर।
7. उप राजकीय अभिभाषक, राजस्थान कर बोर्ड, अजमेर।
8. संयुक्त निदेशक, कम्प्यूटर, मुख्यालय, अजमेर को विभाग की वेबसाईट igrs.rajasthan.gov.in पर अपलोड कराने हेतु।
9. समस्त आन्तरिक लेखा जांच दल, मुख्यालय, अजमेर।
10. निजी-सचिव, महानिरीक्षक/निजी-सहायक, अति. महानिरीक्षक।
11. समस्त शाखाएँ, मुख्यालय, अजमेर।

सहायक विधि परामर्शी,
पंजीयन एवं मुद्रांक विभाग,
राजस्थान, अजमेर

F7-482